भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3997

सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं

3997. श्री: थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर असंगठित और अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए, सामाजिक सुरक्षा कवरेज की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा, विशेषकर तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों में, और अधिक श्रमिकों को शामिल करने के लिए भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, पेंशन और स्वास्थ्य लाभ जैसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का विस्तार करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा महिलाओं, प्रवासी श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों सहित हाशिए पर रह रहे समूहों में जागरूकता बढ़ाने और उनके लिए आसान सुलभता बढ़ाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने में ई-श्रम पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों की प्रगति और प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी वर्षों में सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की स्थिति प्राप्त करने के लिए भावी योजनाओं और निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम (यूडब्ल्यूएसएस), 2008 में अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्र सरकार द्वारा जीवन एवं निःशक्तता कवर, स्वास्थ्य एवं प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था सुरक्षा आदि से संबंधित मामलों पर असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याण योजनाएं तैयार करने का प्रावधान है।

जारी..2/-

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत, असंगठित कामगारों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् 3000/-रुपये की मासिक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के वे कामगार जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये या उससे कम है और जो ईपीएफओ/ईएसआईसी/एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस योजना में शामिल होने के पात्र हैं। लाभार्थी की प्रवेश आयु के आधार पर मासिक अंशदान राशि 55/- रुपये से 200/- रुपये तक है। योजना के अंतर्गत, लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा इसके समान राशि के अंशदान का भुगतान किया जाता है। इस योजना में नामांकन, सामान्य सुविधा केन्द्रों और देश भर में उनके लगभग 4 लाख केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। पात्र असंगठित कामगार www.maandhan.in पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकन करा सकते हैं।

हाल ही में, ईएसआईसी ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए एक योजना (एसपीआरईई) शुरू की है, जिसका उद्देश्य ईएसआईसी के अंतर्गत कवरेज के बारे में जागरूकता पैदा करना और तमिलनाडु तथा दक्षिणी राज्यों सहित सभी राज्यों में कवर नहीं किए गए सभी नियोक्ताओं को ईएसआईसी के अंतर्गत अपनी इकाइयों को पंजीकृत करने का एक बार का अवसर प्रदान करना है, जिसमें उन्हें कोई भी पिछला रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करना होगा या पहले से कवर की गई इकाइयों के लिए नए कर्मचारियों को पंजीकृत करना होगा।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई) अस्पताल में भर्ती होने पर द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य कवर का प्रावधान करती है। भारत सरकार ने हाल ही में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई), के विस्तार का अनुमोदन किया है, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को व्यापक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), कृषि श्रमिकों सहित सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। पीएमएसबीवाई, दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु या निःशक्तता के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से मृत्यु के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत, 436/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के बीमित व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का लाभ और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत, 20/- रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के बीमित व्यक्ति की दुर्घटना के कारण मृत्यु या पूर्ण स्थायी निःशक्तता के मामले में 2.00 लाख रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी निःशक्तता के लिए 1.00 लाख रुपये का लाभ प्रदान किया जाता है।

पीएम-एसवाईएम योजना के लाभों के प्रचार-प्रसार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना।

(ii) सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) को पीएम-एसवाईएम में नामांकित प्रत्येक पात्र व्यक्ति पर प्रोत्साहन दिया जाता है ।

(iii) स्वैच्छिक निकास, रिवाइवल मॉड्यूल, दावा स्थिति और खाता विवरण जैसी नई सुविधाओं का शुभारंभ।

(iv) निष्क्रिय खातों की रिवाइवल अवधि को 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष करना।

(v) पीएम-एसवाईएम और ई-श्रम का दो-तरफ़ा एकीकरण ।

(vi) जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

(vii) पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकन के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ पत्र व्यवहार करना।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और सहायता करना है।

29 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.97 करोड़ से अधिक असंगठित कामगार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा, 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम-"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और ई-श्रम के माध्यम से उनके द्वारा अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई- जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) शामिल हैं।

****